"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026 — पौष 25, शक 1947

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्र. 2776/संसा/ब–4/चार/2026.— छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025 (क्र. 26 सन् 2025) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड से संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी मामलों के संरक्षण, प्रबंधन, निवेश और विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड नियम, 2026 कहलाएंगे।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025;

(ख) "महालेखाकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के महालेखाकार;

(ग) "संचित निधि" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि;

(घ) "निधि" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड;

(ङ) "निधि प्रबंधक" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा नियुक्त एक वित्तीय संस्थान;

(च) "निधि प्रबंधन इकाई" से अभिप्रेत है, निधि के प्रबंधन के लिए, राज्य सरकार द्वारा गठित निधि प्रबंधन इकाई;

(छ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(ज) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँए जो इन नियमों में प्रयुक्त है परंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जैसी कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं।

3. निधि की अंशदान सीमाएँ एवं अतिरिक्त स्रोतें.– (1) अंशदान सीमाएँ- अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अनुसरण में, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष खनिज राजस्व प्राप्तियों को जमा करेगी।

(2) **अतिरिक्त स्रोत**- निधि-

(क) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कोई अन्य अंशदान,

(ख) परिपक्व प्रतिभूतियों के पुनर्निवेश से आय,

भी प्राप्त कर सकेगी।

4. **निधि प्रबंधन इकाई की स्थापना और संरचना.**- (1) वित्त विभाग, निधि के प्रबंधन की निगरानी और अधिनियम तथा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निधि प्रबंधन इकाई की स्थापना करेगा।

(2) निधि प्रबंधन इकाई में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे,-

(क) पदेन सचिव, वित्त विभाग – अध्यक्ष;

(ख) संचालक, बजट – उपाध्यक्ष।

(3) नियुक्त निधि प्रबंधक के दैनिक संचालन की निगरानी एवं संचार के प्राथमिक संपर्क हेतु सचिव, वित्त विभाग एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे, जो उप-सचिव की श्रेणी से निम्न नही होगा।

(4) सचिव, वित्त विभाग, निधि प्रबंधन और निधि निवेश विषयों पर तकनीकी मामलों पर सलाह देने के लिए किसी विषय विशेषज्ञ को नामित कर सकेंगे।

(5) निधि प्रबंधन इकाई, निधि के प्रदर्शन, निवेश रणनीतियों तथा इन नियमों के अनुपालन की निगरानी हेतु कम से कम तीन माह में बैठक करेगी।

(6) निधि प्रबंधन इकाई के कार्य.-

(क) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, निवेश हेतु दिशानिर्देश और कार्यनीति तैयार करना और जारी करना;

(ख) निधि के प्रदर्शन का आंकलन और मूल्यांकन करना;

(ग) निवेश, विनिवेश, पुनर्निवेश, पोर्टफोलियो समायोजन की समीक्षा और अनुमोदन करना;

(घ) अधिनियम और इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि निधि का कोई भी निवेश या संचालन अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो;

(च) धारा 8 के अनुसरण में निधि से धनराशि की निकासी की समीक्षा और अनुमोदन करना;

(छ) वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करना और छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्तुत करना;

(ज) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किए जाये।

5. **निधि प्रबंधक का नियुक्ति एवं हटाया जाना.**- (1) वित्त विभाग, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार निधि प्रबंधन इकाई के माध्यम से निधि प्रबंधक की नियुक्ति हेतु प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया अपनायेगा।

(2) निधि प्रबंधक, पोर्टफोलियो मैनेजर या सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकृत एक वित्तीय संस्थान होगा;

(3) निधि प्रबंधक को सरकार किसी भी समय हटा सकती है, यदि:

(क) निधि प्रबंधक, अधिनियम या इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है;

(ख) निधि प्रबंधक दिवालिया हो जाता है या संचालन जारी रखने में असमर्थ होता है;

(ग) निधि प्रबंधक के विरूद्ध कोई विनियामक कार्रवाई की जाती है;

(घ) लगातार दो वर्षों तक उसका प्रदर्शन असंतोषजनक रहता है।

(4) निधि प्रबंधक को हटाए जाने की स्थिति में, निधि की सभी संपत्ति और निवेश संबंधी दस्तावेज, निधि प्रबंधन इकाई को तत्काल हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

6. **निधि प्रबंधक के उत्तरदायित्व और कर्तव्य.**- (1) **सामान्य उत्तरदायित्व-** निधि प्रबंधक, निधि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए निधि प्रबंधन इकाई के माध्यम से वित्त विभाग के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा और अधिनियम तथा इन नियमों की रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करेगा।

(2) प्राथमिक उत्तरदायित्व-

(क) निधि प्रबंधन- निधि की सभी संपत्तियों का प्रबंधन एवं मानक वित्तीय प्रचलन के अनुसार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ख) लाभ संग्रह- प्रतिभूतियों पर सभी लाभांश, ब्याज और आय एकत्र करना और उन्हें निर्धारित तिथि पर निर्धारित निधि खाते में जमा करना;

(ग) रिकॉर्ड संधारण- निधि के समस्त लेनदेन, निवेश और संपत्ति (होल्डिंग्स) का पूर्ण और सटीक रिकॉर्ड संधारित करना;

(घ) रिपोर्टिंग- निधि प्रबंधन इकाई को आवधिक विवरण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(3) निवेश कर्तव्य-

(क) निधि प्रबंधन इकाई द्वारा जारी निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों और नियम 8 में निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार निधि का निवेश करना;

(ख) निधि प्रबंधन इकाई द्वारा अनुशंसित एवं अनुमोदित निवेश का प्रबंधन;

(ग) जोखिम प्रबंधन के लिए पोर्टफोलियो का विविधीकरण;

(घ) सभी प्रतिभूतियों की परिपक्वता की निगरानी करना और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अनुसार समय पर मोचन की व्यवस्था करना;

(ङ) निवेश, पुनर्निवेश, विनिवेश इत्यादि से संबंधित प्रस्तावों पर निधि प्रबंधन इकाई से सलाह करना।

(4) विनिवेश कर्तव्य-

(क) प्रतिभूतियों की परिपक्वता के उपरांत, आय के संग्रह की व्यवस्था करना और उसे निधि में जमा करना या निधि प्रबंधन इकाई से प्राप्त निर्देश के अनुसार पुनर्निवेश करना;

(ख) समय पूर्व विनिवेश के लिए, कारणों और समाप्त की जाने वाली प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट करते हुए निधि प्रबंधन इकाई से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करना;

(ग) प्रतिभूतियों का विनिवेश करने और आकस्मिक शुल्क या लेनदेन लागत में कटौती के बाद आय को निधि खाते में जमा करना;

(घ) घाटे दिखाने वाली प्रतिभूतियों के मामले में, समाप्ति से पहले निधि प्रबंधन इकाई के साथ परामर्श करना;

(ङ) औचित्य और अनुमोदन दस्तावेजों के साथ सभी विनिवेश लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड संधारित करना।

(5) अनुपालन और विनियामक कर्तव्य-

(क) अधिनियम और इन नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ख) लागू करों, अन्य वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) निधि प्रबंधन इकाई को सभी महत्वपूर्ण जानकारी और हितों के टकराव की जानकारी उपलब्ध कराना;

(ङ) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना।

(6) रिपोर्टिंग कर्तव्य-

(क) निधि प्रबंधन इकाई को निधि की स्थिति का मासिक विवरण प्रस्तुत करना;

(ख) निवेश, रिटर्न और अनुपालन की स्थिति का विवरण देते हुए निधि प्रबंधन इकाई को तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) छत्तीसगढ़ शासन और विधानमंडल को प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(घ) किसी भी असाधारण लेनदेन, हानि या अनुपालन उल्लंघन की निधि प्रबंधन इकाई को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) निवेश और अन्य प्रासंगिक व्यय जैसे कमीशन और शुल्क का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना।

(7) निधि प्रबंधक पर प्रतिबंध-

(क) निधि प्रबंधक, निधि संपत्ति का उपयोग किसी भी डेरिवेटिव लेनदेन, शॉर्ट-सेलिंग या अन्य लीवरेज्ड लेनदेन के लिए नहीं करेगा;

(ख) निधि प्रबंधक, अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निधि की संपत्तियों का उपयोग नहीं करेगा;

(ग) निधि प्रबंधक, किसी भी इकाई में नियंत्रण या बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त नहीं करेगा;

(घ) निधि प्रबंधक, निधि प्रबंधन इकाई से अनुमोदित दस्तावेज के बिना कोई लेनदेन नहीं करेगा।

(8) जोखिम प्रबंधन-

(क) निधि प्रबंधक, अनिश्चित परिस्थितियों में भी निवेश जोखिमों और रिटर्न का संतुलित मूल्यांकन करते हुए निवेश की निरंतर वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करेगा;

(ख) लाभ को अधिकतम करने हेतु, निधि प्रबंधक, उपयुक्त निवेश के चयन और प्रतिभूतियों के समायोजन के लिए निधि प्रबंधन इकाई को सिफारिशें प्रदान करने हेतु बाजार के रुझान, आर्थिक संकेतकों और व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के प्रदर्शन का गहन अध्ययन करेगा;

(ग) निधि प्रबंधक, उपयुक्त जोखिम मूल्यांकन प्रोटोकॉल बनाए रखेगा।

7. **निवेश दिशानिर्देश और मानदंड.-** (1) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड का गठन, संचित शोधन निधि (सीएसएफ) एवं प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) के अनुसार किया जायेगा।

(2) निधि का निवेश, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, दिनांक 2 मार्च, 2015 में प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित केंद्र शासन की अधिसूचना क्र. 11/14/2013-PR, दिनांक 02 मार्च, 2015 के अनुसार किया जाएगा।

8. **निधि का उपयोग.-** (1) निधि का उपयोग, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य सरकार द्वारा पूंजी के व्यय हेतु विशेष रूप से किया जाएगा।

(2) निकासी तंत्र-

(क) निधियों की निकासी, प्राथमिक रूप से केवल वित्त विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) एवं (3) के अनुसार की जाएगी;

(ख) सचिव या प्राधिकृत अधिकारी से लिखित प्राधिकार प्राप्त कर, निधि प्रबंधक निकासी अनुरोधों को संसाधित करेगा;

(ग) सभी निकासी अनुरोधों को औचित्य सहित प्रलेखित किया जाएगा।

9. **निधि की वार्षिक रिपोर्ट.-** (1) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष विधान सभा के पटल पर एक "वार्षिक निधि रिपोर्ट" रखेगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) निधि की स्थिति, स्रोतों और उपयोग का विवरण;

(ख) निधि का निवेश पोर्टफोलियो और उसका प्रदर्शन;

(ग) निधि का आवंटन और उससे प्राप्त रिटर्न; और

(घ) निधि के रखरखाव में किए गए प्रशासनिक और प्रबंधन खर्च।

(2) उपरोक्त संदर्भित रिपोर्ट, अन्य सभी संबंधित खुलासों के साथ, वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

10. **लेखांकन और लेखा परीक्षा.-** (1) निधि के खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा राज्य के महालेखाकार द्वारा की जाएगी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और इसे सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) निधि प्रबंधक द्वारा सहायक खातों का संधारण उस रीति से किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से उचित समझे।

11. **विनियामक अनुपालन.-** निधि प्रबंधक, निधि की गतिविधियों और संचालन से संबंधित सभी लागू कर विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. **निर्वचन और शिथिलीकरण.-** (1) निधि के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, वित्त विभाग इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर, ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक हो।

(2) जहाँ इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में या निधि के संचालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, ऐसे स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी या इन नियमों में ऐसे संशोधन कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th January 2026

NOTIFICATION

No. 2776/ Reso./B-4/Four/2026.— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh State Growth and Stability Fund Act, 2025, (No. 26 of 2025), the State Government, hereby, makes the following rules for the protection, management, investment and regulation of all matters relating to or incidental to the Chhattisgarh State Growth and Stability Fund, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Growth and Stability Fund Rules, 2026.

   (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette by the State Government.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

   (a) "**Act**" means the Chhattisgarh State Growth and Stability Fund Act, 2025;

   (b) "**Accountant General**" means the Accountant General of the State of Chhattisgarh;

   (c) "**Consolidated Fund**" means the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh;

   (d) "**Fund**" means the Chhattisgarh Growth and Stability Fund;

   (e) "**Fund Manager**" means the financial institution appointed by the Government;

   (f) "**Fund Management Unit**" means the fund management unit constituted by the State Government for the management of the Fund;

   (g) "**Section**" means a Section of the Act;

(h) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Contribution Limits and Additional Sources of the Fund.- (1) Contribution Limits-** In accordance with sub-section (1) and (2) of Section 6 of the Act, the State Government shall deposit the mineral revenue receipts every year.

(2) Additional Sources- The Fund may also receive:-

(a) any other contribution as determined by the State Government from time to time.

(b) proceeds from investment of mature securities.

4. **Establishment and Composition of Fund Management Unit.-**

(1) The Finance Department shall establish a Fund Management Unit to oversee the management of the Fund and ensure compliance with the Act and these rules.

(2) The Fund Management Unit shall comprise the following members:

(a) Secretary in charge, Finance Department–Chairperson;

(b) Director of Budget - Vice-Chairperson.

(3) The Secretary, Finance Department, shall designate a Nodal Officer not below the rank of Deputy Secretary to oversee the day-to-day operations and serve as the primary point of communication with the appointed Fund Manager.

(4) The Secretary, Finance Department, may nominate a subject matter expert to provide technical advice on fund management and the fund investment matters.

(5) The Fund Management Unit shall meet at least quarterly to review the Fund's performance, investment strategies, and monitor compliance with these rules.

(6) Functions of the Fund Management Unit.-

(a) formulate and issue investment guidelines and strategy in accordance with Section 9 of the Act;

(b) assess and evaluate the performance of the Fund;

(c) review and approve investment, disinvestment, reinvestment, portfolio adjustments;

(d) monitor compliance with the Act and these rules;

(e) ensure that no investment or operation of the Fund violates any provision of the Act;

(f) review and approve the withdrawal of funds in accordance with Section 8;

(g) review and submit the annual report to the Government of Chhattisgarh.

(h) exercise such other functions as prescribed by the Government from time to time.

5. **Appointment and Removal of Fund Manager.-** (1) The Finance Department shall undertake a competitive selection process for the appointment of Fund Manager through Fund Management Unit in accordance with Section 7 of the Act.

(2) Fund Manager shall be a financial institution registered as a Portfolio Manager or SEBI Registered Investment Advisor;

(3) The Government may terminate the Fund Manager at any time if:

(a) The Fund Manager fails to comply with the Act or these rules;

(b) The Fund Manager becomes insolvent or unable to continue operations;

(c) Any regulatory action is taken against the Fund Manager;

(d) Unsatisfactory performance for two consecutive years.

(4) In case of removal of the Fund Manager, immediate handover of all assets and investment-related records of the Fund shall be made to the Fund Management Unit.

6. **Responsibilities and Duties of Fund Manager.- (1) General Accountability.-** The Fund Manager shall be solely accountable to the Finance Department through the Fund Management Unit for all Fund-related activities and shall operate within the framework of the Act and these rules.

(2) Primary Responsibilities-

(a) **Fund Management-** Maintenance of all assets of the Fund and ensure their safe-keeping in accordance with standard financial practices;

(b) **Return Collection-** Collection of all dividends, interest, and income on securities and deposit them into the designated Fund account on designated dates;

(c) **Maintain Records-** Maintenance of complete and accurate records of all Fund transactions, investments, and holdings;

(d) **Reporting-** Submission of periodic statements and reports to the Fund Management Unit.

(3) Investment Duties-

(a) Investment of the Fund in accordance with investment guidelines issued by the Fund Management Unit and within the parameters specified in Rule 8;

(b) Management of the investment as recommended and approved by the Fund Management Unit;

(c) Diversification of portfolio to manage risk;

(d) Monitoring the maturity of all securities and arrange for timely redemption in accordance with sub-section (2) of Section 9 of the Act.

(e) Seeking advice from the Fund Management Unit on proposals related to investment, reinvestment, disinvestment, etc.

(4) Disinvestment Duties-

(a) Upon maturity of securities, making arrangement for collection of proceeds and crediting the same to the Fund or reinvesting as per the direction received fromFund Management Unit;

(b) Seeking prior written approval from the Fund Management Unit specifying reasons and securities to be liquidated for premature disinvestment;

(c) Disinvestment of securities and crediting proceeds to the Fund account after deducting contingency fees or transaction costs;

(d) Consulting with Fund Management Unit before liquidation in case of loss in securities;

(e) Maintenance of detailed records of all disinvestment transactions with justification and documentation of approval.

(5) Compliance and Regulatory Duties-

(a) Ensuring compliance with all provisions of the Act and these rules;

(b) Ensuring compliance with applicable taxes, other statutory provisions;

(c) Ensuring compliance with regulations issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, and other regulatory authorities;

(d) Disclosing all material information and conflicts of interest to the Fund Management Unit;

(e) Implementing adequate internal controls and audit procedures.

(6) Reporting Duties-

(a) Submission of monthly statement of Fund position to Fund Management Unit;

(b) Submission of quarterly performance report detailing investments, returns, and compliance status to Fund Management Unit;

(c) Submission of annual report for submission to Government of Chhattisgarh and the Legislature;

(d) Submission of immediate report to Fund Management Unit of any exceptional transaction, loss, or compliance breach;

(e) Submission of a detailed statement of investment and other relevant expenses such as commissions and charges.

(7) Restrictions on Fund Manager-

(a) Fund Manager shall not use Fund asset for any derivative transaction, short-selling, or other leveraged transaction;

(b) Fund Manager shall not use Fund assets for any purpose other than those specified in the Act;

(c) Fund Manager shall not acquire control or majority stake in any entity;

(d) Fund Manager shall not undertake any transaction without documented approval from Fund Management Unit.

(8) Risk Management-

(a) Fund Manager shall implement safety measures to ensure the continuous financial progress of the investments while performing a balanced assessment of investment risks and returns, even under uncertain circumstances;

(b) Fund Manager shall conduct an in-depth study of market trends, economic indicators, and the performance of individual securities to provide recommendations to the Fund Management Unit for the

selection of appropriate investments and adjustment of securities for maximisation of profits;

(c) Fund Manager shall maintain appropriate risk assessment protocols.

7. **Investment Guidelines and Parameters.-** (1) The Chhattisgarh State Growth and Stability Fund shall be constituted on the lines of Consolidated Sinking Fund (CSF) and the Guarantee Redemption Fund (GRF).

(2) Investment of the Fund shall be made in accordance with the Central Government's Notification No. 11/14/2013-PR, dated March, 2nd 2015, issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated March, 2nd 2015 as amended from time to time.

8. **Utilization of Fund.-** (1) The Fund shall be utilized exclusively for capital expenditure by the State Government as specified in sub-section (1)of Section 8 of the Act.

(2) Withdrawal Mechanism.-

(a) Withdrawal of funds shall be initiated only by the Finance Department as per sub-section (2) and (3) of Section 8 of the Act;

(b) The Fund Manager shall process withdrawal requests upon receiving written authorization from the Secretary or authorized officer;

(c) All withdrawal requests shall be documented with supporting justification.

9. **Annual Report of the Fund.-** (1) The State Government, shall be before the Legislative Assembly an "Annual Fund Report" of the Fund every year, which shall include the following particulars, namely:-

(a) Details of the status, sources, and utilization of the fund;
(b) The investment portfolio of fund and its performance;
(c) The allocation of the Fund and the returns obtained there from; and
(d) The administrative and management costs incurred in maintaining the Fund.

(2) The report referred above along all other related disclosure, shall be made publicly available on the official website of the Finance Department.

10. **Accounting and Auditing.–** (1) The annual audit of the account of the Fund shall be conducted by the Accountant General of the state the audit

report shall be laid before the Legislative Assembly and also shall be made publicly available.

(2) The maintenance of subsidiary accounts by the Fund Manager shall be carried out in such manner as may be consider appropriate by the State Government in consultation with the Accountant General.

11. Regulatory Compliance.- The Fund Manager shall be responsible for ensuring compliance with all applicable regulatory, tax provisions relating to the activities and operations of the Fund.

12. Interpretation and Relaxation.- (1) To ensure the smooth functioning of the Fund, the Finance Department may, from time to time, issue such instructions as may be necessary for the implementations of these rules.

(2) Where any difficulty arises in given effect to the provisions of these rules or in the operation of the Fund, the State Government may issue such clarifications or make such amendments to these rules as it may deemed necessary.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.